

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०११

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हरी कृष्ण शर्मा (श.प्र.से.) 2. वर्तमान धारित पद संयुक्त कलेक्टर
 3. वर्तमान वेतन 23)95-6600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2012

जिले, उप संभाग, तालुका । ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खति	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गाम. मुसाकली तनुपुरा इमलेइडा गाम. जलमिण्डु	3 प्लॉट फ्लॉट 4 प्लॉट फ्लॉट	3 न. 100 211 मी. में कडा कडा 22.00 है. अर्जित होगी	15 लाख के लगभग होगा	श्री. अनन्त राम शर्मा (पिता) 11 राम देव शर्मा (पिता) एवं अन्य संयुक्त नामों से इस नाम संयुक्त हैं पति का जो सम्पत्ति है इसमें किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है	पैत्रिक	पैत्रिक संयुक्त रूप पति का जो 3 लाख 10 हजार रुपये वार्षिक होगी	
हर मिण्डु	3 प्लॉट फ्लॉट						

जहां लागू न हो फाट दोजिए।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नोट: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आयुर्वरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार तहरीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के खति दे।

हस्ताक्षर हरी कृष्ण शर्मा
 नाम हरी कृष्ण शर्मा
 पद संयुक्त कलेक्टर
 विभाग गामा-क.प्र.श.स. विभाग
 1.2.12